

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव को ही संबोधित किया जाये
किसी प्रकार के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व संदर्भ यदि हो
तो देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 25275320
तार : यूनिवर्सिटी
फैक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय-भवन
इन्दौर-452001

क.:सं.वि.क./वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2022-23 / 184

दिनांक 30 SEP 2022

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
2. प्राचार्य/प्राचार्या/संचालक/निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला - इन्दौर, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, बडवानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर

विषय :- महाविद्यालयों/वि.वि. अध्ययनशालाओं में दो वर्ष हेतु प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन कर एक वरिष्ठ
प्राध्यापक का नाम वि.वि. प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शामिल करने हेतु भेजने बाबद।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत यू.जी.सी. विनियम क्रमांक 20(अध्यादेश क्रमांक 7 की कंडिका-15 के अन्तर्गत)
की कंडिका 2 (1) के अनुसार सत्र 2022-2023 एवं 2023-2024 (दो वर्ष) हेतु विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड
का गठन माननीय कुलपतिजी द्वारा किया जाना है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि आप अपने
महाविद्यालय/अध्ययनशाला स्तर पर नियमानुसार प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन कर, एक वरिष्ठ प्राध्यापक का
नाम विश्वविद्यालय प्रॉक्टोरियल बोर्ड में शामिल करने हेतु प्रस्तावित कर भेजना अनिवार्य है, तथा इसकी सूचना
31 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग को आवश्यक रूप से भेजें, ताकि नियमानुसार
विश्वविद्यालयीन प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जा सके।

भवदीय

कुलसचिव

पृ. क.:सं.वि.क./वि.वि. प्रॉ. बोर्ड / 2022-23 / 184

दिनांक 30 SEP 2022

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
- 2 आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)
- 3 माननीय कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर।
- 4 आई.टी. सेंटर, वि.वि. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण